न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –778/2024

अनवान : –

1. राजवीर पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन 2 आर.पी.एम. तहसील नोहर।
2. जयपाल सिंह पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन 2 आर.पी.एम. तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मुखराज पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन 2 आर.पी.एम. तहसील नोहर ।
2. सावित्री पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन 2 आर.पी.एम. तहसील नोहर।
3. इन्द्रो देवी पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन 2 आर.पी.एम तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 02/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 2 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 150/129 की कुल 2.5050 है0 भूमि व रोही मौजा 2 ए बारानी तहसील टिब्बी के खाता संख्या 109/161 की कुल 3.0360 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 2ए बारानी तहसील टिब्बी के खाता संख्या 172/162 की कुल 0.5060 हैक्टेयर भूमि हरलाल पुत्र भोलूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के दादा हरलाल पुत्र भोलुराम के नाम दर्ज है। वादीगण के दादा हरलाल पुत्र भोलुराम का स्वर्गवास हो चुका है। हरलाल पुत्र भोलूराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो कि अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादिया संख्या 2 ता 3 जो कि वादीगण की भुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की बहिने हैं उक्त वाद भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा था वह अपने भाई प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क कर दिया है अब उनका विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण [illegible] हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य हैं प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण का पिता [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण का बहिब हक हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:37:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण एवं प्रतिवादी न. 1 ने विवादित भूमि का बंटवारा कर लिया है मुताबिक बंटवारा रोही मौजा चक 2 आर.पी.एम. तहसील नोहर जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 150/129 की कुल 2.5050 हैक्टेयर भूमि वादीगण को प्राप्त होगी एवं चक न. 2ए बारानी तहसील टिब्बी जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 109/161 की कुल 3.0360 हैक्टेयर भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि एवं चक न. 2ए बारानी तहसील टिब्बी जमाबंदी सम्वत 2075 व 2078 के खाता संख्या 172/162 की कुल 0.5060 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी न. 1 को प्राप्त होगी। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम वाद भूमि को दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण बहक हरलाल आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के दादा हरलाल पुत्र भोलुराम के नाम दर्ज है। वादीगण के दादा हरलाल पुत्र भोलुराम का स्वर्गवास हो चुका है। हरलाल पुत्र भोलूराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो कि अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादिया संख्या 2 ता 3 जो कि वादीगण की भुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की बहिने हैं उक्त वाद भूमि में अप[illegible] वह अपने भाई प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क कर दिया है अब [illegible] हिस्सा शेष नहीं है। रोही मौजा 2 आरपीएम की वाद भूमि प[illegible] तथा रोही मौजा 2ए बारानी तहसील टिब्बी की वाद भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज[illegible]। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:37:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 150/129 की कुल 2.5050 है0 भूमि व रोही मौजा 2 ए बारानी तहसील टिब्बी के खाता संख्या 109/161 की कुल 3.0360 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 2ए बारानी तहसील टिब्बी के खाता संख्या 172/162 की कुल 0.5060 हैक्टेयर भूमि हरलाल पुत्र भोलूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के दादा हरलाल पुत्र भोलुराम के नाम दर्ज है। वादीगण के दादा हरलाल पुत्र भोलुराम का स्वर्गवास हो चुका है। हरलाल पुत्र भोलूराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो कि अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादिया संख्या 2 ता 3 जो कि वादीगण की भुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की बहिने हैं उक्त वाद भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा था वह अपने भाई प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क कर दिया है अब उनका विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं है। रोही मौजा 2 आरपीएम की वाद भूमि पर वादीगण काबिज है तथा रोही मौजा 2ए बारानी तहसील टिब्बी की वाद भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। वादीगण द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक हरलाल के अन्य कोई भी वारिसा नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 150/129 की कुल 2.5050 है0 भूमि में मृतक हरलाल पुत्र भोलुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहीब के खातेदार के काश्तकार घोषित किये जाते हैं व रोही मौजा [illegible]रानी तहसील टिब्बी के खाता संख्या 109/161 की कुल 3.0360 हैक्टे[illegible] भूमि व रोही मौजा 2ए बारानी तहसील टिब्बी के खाता संख्या 172/162 की [illegible] 0.5060 हैक्टेयर भूमि में हरलाल पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:37:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भोलूराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:37:39 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –778 / 2024

अनवान : –

1. राजवीर पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन 2 आर.पी.एम. तहसील नोहर।
2. जयपाल सिंह पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन 2 आर.पी.एम. तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. मुखराज पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन 2 आर.पी.एम. तहसील नोहर ।
2. सावित्री पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन 2 आर.पी.एम. तहसील नोहर।
3. इन्द्रो देवी पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन 2 आर.पी.एम तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 778 सन 2024 निर्णय दिनांक 02/09/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री हवासिंह पूनिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 आर. पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 150/129 की कुल 2.5050 है0 भूमि में मृतक हरलाल पुत्र भोलुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहीब के खातेदार के काश्तकार घोषित किये जाते हैं व रोही मौजा 2 ए बारानी तहसील टिब्बी के खाता संख्या 109/161 की कुल 3. 0360 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 2ए बारानी तहसील टिब्बी के खाता संख्या 172/162 की कुल 0.5060 हैक्टेयर भूमि में हरलाल पुत्र भोलूराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:37:39 IST
Reason: SelfAttested